उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-1
संख्या- 04/2020/ए-1-192/ दस-2020-10(38)/2011
लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी, 2020

शुद्धि- पत्र

अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में व ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 03/2020/ए-1-165/दस-2020-10(38)/2011 में निर्गत होने की अंकित तिथि ---**"दिनांक 10 जनवरी, 2020" के स्थान पर "दिनांक 10 फरवरी, 2020"** पढ़ा जाय।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित अन्य तथ्य यथावत रहेगें।

पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 04 /2020 / ए-1-192 (1) /दस-2020-10(38)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(4) वरिष्ठ उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी0 एम0- ।।/ग्रुप-iv/लेखामिलान/ एफ-18/99182, दिनांक 22 जनवरी, 2020 के क्रम में।
(5) वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-बी-2-33ए /दस-2020, दिनांक 07 फरवरी, 2020 के क्रम में।
(10) समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।